न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 8/2021

जरिये सरकार वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–आवेदक

वनाम

श्री दौलतराम सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी (विक्रेता) मैसर्सः– हिमांशु मावा स्टोर, मण्डा स्टैण्ड वाया भाखरी पावटा जयपुर। निवासी वार्ड न 8, वडियाला कुंआ, मोडाला की ढाणी, प्रागपुरा तहसील पावटा जयपुर।

– अभियुक्त

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51, एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 4/12/25

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि मैं वीरेन्द्र कुमार सिंह दिनांक 30.01.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक–एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक–एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

आवंटित किया गया है जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

2. यह कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30.01.2021 को 03.00 पी.एम पर मैसर्सः–हिमांशु मावा स्टोर, मण्डा स्टैण्ड वाया भाखरी पावटा जयपुर पर पहुंचे जहा दौलतराम सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी (विक्रेता) उपस्थित थे। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया श्री दौलतराम सैनी ने उक्त फर्म का प्रोपराईटर होना बताया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने श्री दौलतराम सैनी से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होने नही होना जाहिर किया एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतिया प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

3. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर मावा आम जनता को विक्रय हेतु फिज में रखा 5–5 किलो प्लेन थैलियों में लगभग 100 किलो डीप फ्रिज में रखा था। अतः उक्त मावा में गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जाँच 1 किलोग्राम मावा खरीदकर उसकी कीमत 200/– रुपये विक्रेता श्री दौलतराम सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री महेश सैनी एवं नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1 किलोग्राम माया को एक रूप कर 4 साफ सूखी नई चौडे मूह की बोतलो में बरावर डाला एवं प्रत्येक में फॉमलिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन बंद कर प्रत्येक बोतल पर लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कोड एवं क्रमांक E–4937 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. E–4937 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर नमूना संख्या ई–4937 के फार्म नं. छः की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलवन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील वन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील वन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

6. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक कमशः एफएसएसए/2021/200 दिनांक 15.02.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. कमशः एलएस/213/एक्ट/2021/313 दिनांक 11.02.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा सवस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह कि एफएसएसए एक्ट 2006 नियम 2011 के नियम 2.4.6 सेक्शन 46 के सव सेक्शन 4 के अन्तर्गत 30 दिवस की अवधी में नमूने की रेफरल लेवोरेट्री में पुन जांच हेतु फार्म–8 में अपील करने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। श्री दौलतराम सैनी द्वारा पुनः जांच हेतु फॉम 8 में अभिहित अधिकारी को अपील नहीं की गयी।
8. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/513 दिनांक 10.05.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। पत्र की प्रति संलग्न आवेदन है।
9. यह कि उक्त केस मे श्री दौलतराम सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी (विक्रेता) मैसर्सः– हिमांशु मावा स्टोर, मण्डा स्टैण्ड वाया भाखरी पावटा जयपुर। निवासी वार्ड न 8. वडियाला कुंआ, मोडाला की ढाणी, प्रागपुरा तहसील पावटा जयपुर द्वारा मावा का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः उपरोक्त न्याय निर्णय आवेदन श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है।
10. आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तल्वी हेतु नोटिस जारी किया गया। वाद सूचना अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया तथा अधिवक्ता श्री लालचन्द यादव ने अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी द्वारा जवाव पेश कर जुर्म स्वीकार करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया।
11. पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्वन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सवस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ मावा का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है तथा अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार कर लिया गया है इसलिए उक्त

जॉइंट डायरेक्टर

कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री दौलतराम सैनी पुत्र श्री गणपतराम सैनी (विक्रेता) मैसर्सः– हिमांशु मावा स्टोर, मण्डा स्टैण्ड वाया भाखरी पावटा जयपुर। निवासी वार्ड न 8, बडियाला कुंआ, मोडाला की ढाणी, प्रागपुरा तहसील पावटा जयपुर पर 25000/— (पच्चीस हजार रु०) शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 4-12-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायनिर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटपूतली